


FORM NO.III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम चित्तौड़गढ़ (राज.)
उदमलाल बनाम बनारसिंह
किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 183/2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
<p><u>12.5.25</u></p>	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी श्री / श्रीमती <u>उदमलाल</u></p> <p>पिता श्री <u>राधाप्रियानु दरोगा</u></p> <p>निवासी <u>विजयपुर, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम</u> <u>भोपालपुर (प.ह. विजयपुर) स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर <u>61 व 68 (खाता नं. 6)</u></u> <u>58, 59, 60 (खाता नं. 3)</u></p> <p>कुल कीता <u>8+3=11</u> कुल रकबा <u>2.84</u> है० की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।</p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम <u>भोपालपुर (प.ह. विजयपुर) स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर <u>61 व 68 व 58, 59, 60</u></u></p> <p>कुल कीता <u>11</u> रकबा <u>2.84</u> है० की बिना किसी कब्जे मे दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते है। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क <u>2000</u> रुपये अक्षरे <u>51 एनार 475</u> प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  (विनू देवल) सहायक कमिश्नर एल उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.) </p>